कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / मा–स / SDMC / 22423 / 2015–22 / 440 दिनांक : 31 .10.2022

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा।

विषय :– विधार्थी कोष / विकास कोष के सामयिक, समुचित एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु प्रभावी उपयोग किए जाने बाबत्।

प्रसंग :– समसंख्यक परिपत्र दिनांक : 28.02.2015, 30.09.2015 एवं 16.11.2015

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्रों / परिपत्रों के माध्यम से विद्यालय को विकसित करने हेतु विद्यार्थी कोष / विकास कोष की राशि को व्यय करने की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरलीकृत किया गया था। तद्उपरांत प्रत्येक वर्ष के शिविरा पंचांग में सत्र के प्रथम कार्य दिवस को एसडीएमसी की बैठक आयोजित कर विद्यार्थी हित में सत्र पर्यन्त किये जाने वाले कार्यों की योजना का अनुमोदन करवाने, सत्र में 15 जुलाई को उक्त प्रस्तावों हेतु आवश्यक लेखांकन पूर्ण करने तथा 16 अगस्त तक निविदा कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

राजकीय विद्यालयों में छात्र कोष (परिवर्तित नाम "विधार्थी कोष") तथा विकास कोष के सामयिक, समुचित एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में गुणवत्ता अभिवृद्धि के उद्देश्य से प्रभावी उपयोग किया जाना विद्यार्थी हित में अत्यंत आवश्यक है।

यह संज्ञान में आया है कि कतिपय विद्यालयों में विद्यार्थी कोष / विकास कोष की राशि का उपयोग नहीं किया जाता है। इन कोषों में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद विद्यालयों में आवश्यक भौतिक सुविधाओं (यथाः रंग–रोगन, शौचालय, कक्षा–कक्षों की सामान्य मरम्मत, फर्नीचर, ग्रीन बोर्ड इत्यादि) एवं शैक्षिक सुविधाओं (यथाः पुस्तकालय, शिक्षण सहायक सामाग्री, खेल सामाग्री, कम्प्यूटर, प्रिंटर इत्यादि) का अभाव रहता है। जिसका सीधा प्रभाव विद्यालय की अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया में पड़ता है। उक्त स्थिति **संस्था प्रधान की विद्यार्थी हित में व्यवहारिक सोच नहीं रखने एवं प्रशासनिक अक्षमता को उजागर करती है। वहीं दूसरी तरफ जिले के अधिकारियों की पर्यवेक्षणीय उदासीनता को भी प्रकट करती है।**

निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों में विद्यार्थी कोष / विकास कोष की राशि को व्यय करने सम्बन्धित प्रासंगिक पत्रों / परिपत्रों की पालना सुनिश्चित करावें एवं स्वयं व अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सम्बलन हेतु विद्यालय के भ्रमण के दौरान विद्यार्थी कोष / विकास कोष के आय–व्यय का भी अवलोकन करें। **जिन विद्यालयों में इन कोषों में राशि की उपलब्धता के बावजूद कतिपय सुविधाओं का अभाव पाये जाने को गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित संस्था–प्रधान के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रिया प्रारम्भ की जावें।** इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न : यथोक्त।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक / समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक / समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रभावी प्रबोधन एवं विद्यालय निरीक्षण के समय में वर्णितानुसार अवलोकन करने बाबत।
4. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य / मा / स / 22423 / 2001–02 दिनांकः 28 फरवरी 2015

परिपत्र

विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांकःशिविरा–माध्य / मा / स / 22423 / 2001–02 दिनांकः 21 जनवरी 2015 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 27.02.2015 के द्वारा कक्षा 1 से 8 के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) एवं कक्षा 9 से 10 / कक्षा 9 से 12 के लिए विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति (SDMC) के गठन एवं आय–व्यय पर नियन्त्रण रखने, लेखे संधारित करने बाबत विवरण अंकित किया गया है ताकि वर्णित समितियों द्वारा प्रभावी तरीके से कार्यों का निष्पादन किया जा सके।

विभाग के अन्तर्गत कक्षा 1 से 12तक के समन्वित विद्यालयों के संचालन हेतु राज्य सरकार के परिपत्र क्रमॉक प.4(6)शिक्षा–1 / 2014 जयपुर दिनांक 11.02.2015 के क्रम में जारी किया गया है ताकि विद्यालयों में स्वच्छ शैक्षिक वातावारण में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। प्रायः देखने में आया है कि राजकीय विद्यालयों में छात्र कोष एवं विद्यालय विकास कोष में राशि उपलब्ध होने के बावजूद भी संस्था प्रधान राशि का उपयोग नहीं करते हैं अथवा विकास समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, विद्यालय स्टाफ एवं स्थानीय समुदाय का आपस में समुचित समन्वय नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को प्रभावी स्वच्छ शैक्षिक वातावरण हेतु वांछित सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। यह भी देखने में आया है कि छात्रकोष एवं विद्यालय विकास कोष में पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के बावजूद भी विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव रहता है, जो अत्यन्त शोचनीय विषय है।

Rajasthan Education Department

छात्रकोष / विकास कोष के सामयिक, समुचित एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में गुणवत्ता अभिवृद्धि के उद्धेश्य से निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. **कार्य योजना**– सत्रांत में विद्यालय के अगले सत्र की आवश्यकताओं का आंकलन कर विद्यालय प्रबन्धन / विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति, छात्र–अभिभावक संघ, विद्यालय स्टाफ, प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं गठित समिति सदस्यों से विचार विमर्श कर कार्य योजना का निर्धारण किया जावे। सामयिक समीक्षा के दौरान कार्ययोजना में शैक्षिक गुणात्मक सुधार से संबंधित बिन्दुओं पर अपेक्षित संशोधन हेतु संस्था प्रधान को पूर्ण स्वायत्तता होगी। कार्ययोजना में विद्यार्थियों के प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री, खेलकूद सामग्री व बैठक व्यवस्था हेतु फर्नीचर, दरी–पट्टी आदि के क्रय के साथ–साथ पीने के पानी की व्यवस्था, बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय का निर्माण, मरम्मत, रख–रखाव एवं विद्यालय परिसर सहित उनकी सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. **राशि का उपयोग**–छात्रकोष / विकास कोष के सुचित उपयोग की दृष्टि से प्रत्येक विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति अथवा विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति उत्तरदायी होगी। यह समिति छात्रकोष शुल्क / विकास कोष शुल्क के उपयोग हेतु प्रतिवर्ष आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में प्राथमिकता तय करेगी, जिससे विद्यालय का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। यथा संभव संस्था प्रधान इस कोष से स्वयं के कार्यालय (Office Chamber) पर व्यय नहीं कर सकेंगे। छात्रहित से संबंधित कार्यों को प्रथम प्राथमिकता प्रदान कर आदर्श वित्तीय मानकों / नियमों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से राशि व्यय कर सकेंगे। कार्य योजना के अनुरूप व्यय की जाने वाली राशि के प्रस्ताव का संबंधित समिति से

स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य होगा। अपरिहार्य सिथिति में छात्र हित में समिति की स्वीकृति के बिना व्यय किये जाने पर कार्योत्तर स्वीकृति के पश्चात ही किया हुआ व्यय नियमित माना जायेगा।

3.0 **छात्र कोष/विकास कोष से किये जाने योग्य कार्य**–विद्यालय प्रबन्धन समिति अथवा विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति से अनुमोदन पश्चात शैक्षिक गुणवत्ता सुधार, विद्यार्थियों हेतु बैठक व्यवस्था, पीने के पानी व बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग स्वच्छ टॉयलेट्स की उपलब्धता हेतु नियत किये गये समस्त कार्य छात्र कोष/विकास कोष से कराये जा सकेंगे। विद्यार्थियों का अध्ययन सुचारू रूप से चलाने तथा व्यय की जाने वाली राशि की सार्थकता के परिपेक्ष्य में में संस्था प्रधान की सुविधा हेतु प्रस्तावित कार्यों की सूची निम्नानुसार है:–

3.1 **छात्रकोष के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य–**

3.1.1 विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में दरी पट्टी, डेस्क एवं टेबल कुर्सी की कक्षा स्तर अनुसार व्यवस्था।

3.1.2 कक्षा कक्ष संचालन हेतु चॉक, डस्टर, सहायक शिक्षण सामग्री व पोस्टर्स, सहायक शिक्षण सामग्री आदि की व्यवस्था।

3.1.3 उच्च गुणवत्ता वाले फाईबर बोर्ड/श्याम पट्ट।

3.1.4 बच्चों के प्रवेश उत्सव पर नव प्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत, विद्यालय पहचान पत्र बनवाना व अच्छा कार्य करने वाले लोकसेवक/एनजीओ का सम्मान।

3.1.5 परिसर, कक्षा–कक्ष में रंग–रोगन/वॉल पैंटिंग। कक्षा 1 से 5 के लिए लहर कार्यक्रम की भांति, कक्षा 6 से 8 के लिए सामान्य ज्ञान एवं जानकारी एवं कक्षा 9 से 12 के लिए महापुरूषों के चित्र, विभागीय योजनाएं, भामाशाह एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का विवरण, महापुरूषों के नाम, छात्रवृति व अन्य योजनाओं का विवरण विद्यालयों में उपयुक्त स्थानों पर अंकित कराया जाना।

3.1.6 खेलकूद प्रवृतियों के लिए खेल सामग्री यथा–फुटबॉल,वॉलीबाल,बास्केटबॉल, नेट आदि।

3.1.7 खेलकूद प्रतियोगिताएं, छात्र प्रवृतियां, सांस्कृतिक प्रवृतियां, सामाजिक प्रवृतियां, मनोरंजन उत्सव, समारोह, पुरस्कार, शाला पत्रिका, अतिथि सत्कार, निमंत्रण पत्र आदि।

3.1.8 समान/गृह परीक्षा संचालन व्यय।

3.1.9 शारदे बालिका छात्रावासों की बालिकाओं हेतु शैक्षिक गतिविधियां।

3.1.10 समाज उपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) एवं कार्यानुभव गतिविधियां।

3.1.11 पुस्तकालय–वाचनालय हेतु प्रत्येक विद्यालय में समाचार पत्र हिन्दी/अंग्रेजी, पाक्षिक पत्र–पत्रिका छोटे बच्चों की पत्रिकाएं/महापुरूष की जीवनियां व अन्य पुस्तकों की व्यवस्था।

3.1.12 विद्यालय प्रार्थना सभा एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए माईक, हारमोनियम, तबला, ढोलक, रंगोली निर्माण सामग्री, रंगोली बनाने की पुस्तकें आदि।

3.1.13 विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड की व्यवस्था।

3.1.14 कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रमाण पत्र व पुरस्कार।

3.1.15 प्रत्येक परख व परीक्षा समाप्ति के 7 दिवस की अवधि में अभिभावक के साथ संवाद (पीटीए बैठक) व फोटोग्राफी।

3.1.16 कक्षा 8 से 12 के प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ अभिभावको की ग्राम/कस्बे के मुख्य मार्ग से रैली निकालना एवं फोटोग्राफी।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

3.1.17 विधवा / परित्यक्ता / विशेष योग्यजन अभिभावकों के बच्चों को निःशुल्क विद्यालय पोशाक—कपड़े, जूते व मोजे (दो जोड़ी) तथा स्कूल बैग—कक्षा 1 से 5 के लिए।

3.1.18 कमरों में पंखे, वाटर कूलर, वाटर प्यूरीफायर एवं ठण्डे पानी हेतु फ्रीज की व्यवस्था एवं विद्युत बिल / पानी का बिल / टेलिफोन बिल का भुगतान।

3.1.19 विद्यार्थियों को स्वास्थ्य, खेलकूद, शिक्षा उन्नयन, शोधकार्य आदि को प्रोत्साहित किये जाने की दशा में तीन माह में एक वाक्पीठ।

3.1.20 विद्यालय सूचना पट्ट एवं साईन बोर्ड आकर्षक तरीके से बनवाने व ज्ञानार्थ—प्रवेश, सेवार्थ—प्रस्थान संबंधी पेंटिग आदि।

3.2 विद्यालय विकास कोष संबंधी कार्य—

3.2.1 स्कूल परिसर(बाहर—अन्दर) पेड़ कटाई—छंटाई।

3.2.2 कक्षा कक्षों की माईनर रिपेयर यथा—किवाड़, खिड़की, बिजली फिटिंग, टूटफूट, पानी लाईन, माईनर सिविल वर्क।

3.2.3 बालिकाओं हेतु संचालित शारदे बालिका छात्रावासों का विकास।

3.2.4 विद्यालय परिसर में माँ सरस्वती की प्रतिमा (स्टेच्यू) का निर्माण।

3.2.5 पूर्व से संचालित विकास योजनाओं से डवटेल कर विद्यालय में विकास कार्य।

3.2.6 विद्यालय परिसर में पेयजल,हैण्डपम्प आदि का निर्माण (जन सहयोग व विकास योजनाओं से)

3.2.7 निर्माण कार्यों में खेलकूद मैदान चारदीवारी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट व ऑडिटोरियम आदि का निर्माण।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

4.0 पर्यवेक्षण—

4.1 संस्था प्रधान प्रत्येक माह के अन्त में छात्र कोष में उपलब्ध राशि की समीक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे। विद्यालय पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण से संबंधित अधिकारी भी अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में छात्र कोष की राशि के संबंध में टिप्पणी अंकित करगें तथा विद्यालय का प्रभावी संचालन / विद्यार्थियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए छात्र कोष / विकास कोष के उपयोग हेतु आवश्यक होने पर संस्था प्रधान को निर्देश देने के लिए अधिकृत होंगे ।

4.2 जिला शिक्षा अधिकारी—माध्यमिक / उप निदेशक(माध्यमिक) एवं निदेशालय के अधिकारी निरीक्षण के दौरान छात्र कोष / विकास कोष की राशि के उपयोग की स्थिति की समीक्षा करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करेंगे, जिससे इस राशि का विद्यालय / विद्यार्थियों के लिए प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।

4.3 जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित शाला प्रधानों से प्रत्येक माह के अन्त में निम्नांकित प्रारूप में सूचना प्राप्त कर विद्यालयवार अवशेष राशि व विद्यालय योजना के अनुसार प्रस्तावित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा समीक्षा पश्चात आवश्यक निर्देश संस्था प्रधानों को जारी करेंगे जिससे विद्यालय स्तर पर विद्यालयों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके।

क. सं.	विद्यालय का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	माह के प्रारम्भ में उपलब्ध राशि	माह में व्यय राशि	माह के अन्त में शेष राशि

(7)

उक्त परिपेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि निर्देशों के पश्चात विद्यालयों में छात्रकोष / विकास कोष का प्रभावी उपयोग नहीं करने पर संस्था प्रधानों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य / मा / स / 22423 / 2001–02 दिनांकः 28 फरवरी 2015

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. प्राचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, अजमेर / बीकानेर
3. समस्त मण्डल उप निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)
4. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
5. प्राचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक शिक्षा)
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. वरिष्ठ सम्पादक–शिविरा, कार्यालय हाजा को शिविरा के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:19/45/शिक्षा–6/197 दिनांक 22.04.1999 द्वारा समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति (SDMC) का गठन किया गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक व अध्यापकों में से संस्था प्रधान द्वारा अध्यापकों में से मनोनीत एक सदस्य सदस्य सचिव के रूप में नामित है। गठित समिति के नियमावली बिन्दु संख्या 16 के द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन–देन बाबत प्रावधान है। इसके सम्बन्ध में निदेशालय के आदेश क्रमॉक शिविरा/माध्य/मा/स/22423/2001–02 दिनांक 21 जनवरी 2015 एवं दिनांक 27.02.2015 में विस्तारपूर्वक विवरण अंकित है, जो आदर्श विद्यालय योजना वर्ष 2015–16 की मार्गदर्शिका पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 56 से 59 पर अंकित है।

उक्त समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने एवं विद्यालय भवन का विकास मुख्य है ताकि अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्वच्छ शैक्षिक वातावरण प्राप्त हो। समिति द्वारा विद्यार्थियों से छात्रनिधि के रूप में राशि प्राप्त की जाती है। प्राप्त राशि विभिन्न बैंकों में विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति द्वारा छात्र निधि (Boys Fund) के नाम से बैंक खाते का संचालन किया जाता है। निदेशालय के आदेश क्रमॉक शिविरा/माध्य/मा–स/21434/2015–16 दिनांक 07.09.2015 द्वारा बैंक खाता छात्रनिधि(Boys Fund) के स्थान पर विद्यार्थी कोष (Student Fund) के नाम से संचालित करने के निर्देश दिये गये थे ताकि अध्ययनरत विद्यार्थियों का विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति से जुड़ाव हो सके।

विद्यार्थी कोष में विद्यार्थियों से ली जाने वाली राशि का निर्धारण भी विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति (SDMC) द्वारा किया जाता है। इस समिति में स्थानीय ग्रामवासियों का प्रतिनिधित्व– विद्यार्थी के माता–पिता या संरक्षक के होने से वसूल एवं व्यय की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में पूर्ण पारदर्शिता रहती है। विद्यालय में शैक्षिक वातावरण व अच्छा स्तर होने से, समिति विद्यार्थी कोष की राशि का पुनर्निधारण भी करने के लिए भी सक्षम है। इसे मासिक आधार पर भी वसूल करने हेतु निर्णय ले सकती है एवं ग्रामवासी समिति को राशि देने को तैयार होते है। वर्तमान में यह राशि वार्षिक आधार पर वसूल की जा रही है। इसी बिन्दु को ध्यान में रखते हुए छात्रकोष के उपयोग के संबंध में निदेशालय द्वारा परिपत्र क्रमॉक शिविरा–माध्य/मा/स/22423/01–02 दिनांक 28.02.2015 जारी किया गया है ताकि प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक को विद्यार्थी कोष की राशि व्यय कर अध्ययनरत विद्यार्थियों को अधिक सुविधाऐं देकर शैक्षणिक वातावरण में सुधार किया जा सके।

राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पदस्थापन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित संस्था प्रधान से अपेक्षा की जाती है कि प्रारंभिक चरण में आप मासिक आधार पर विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति की बैठक आयोजित कर –

(i) विद्यार्थी कोष में अवशेष राशि की जानकारी समिति के सदस्यों को दी जाये

(ii) राशि व्यय करने के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 28.02.2015 के अनुसार कार्य–योजना प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया जाये

(iii) कार्य योजना के अनुसार राशि व्यय की जाये

(iv) विद्यार्थी कोष के रूप में वसूल की जा रही राशि के पुनर्निधारण हेतु समिति के समक्ष विचार किया जाये ताकि समिति द्वारा निर्णय लिया जा सके

संस्था प्रधान द्वारा की गयी कार्यवाही अभिभावकों में विश्वास के साथ–साथ विद्यालय विकास की दिशा में एक सार्थक कदम होगा।

पूर्ण अपेक्षा के साथ

30/9.2015

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक 30/09/15

क्रमांक शिविरा–माध्य/मा./स./22423/2001–02

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

निजी सचिव शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

समस्त शिक्षा उपनिदेशक(प्रारंभिक/माध्यमिक)

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारंभिक/माध्यमिक)

वरिष्ठ शिविरा सम्पादक, कार्यालय हाजा को शिविरा के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड बाबत।

निजी एवं रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य/मा./स./22423/2001–02 दिनांक 30.09.2015

समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय

विषयः– विद्यार्थी कोष के उपयोग के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत निम्नांकित बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है–

1. राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः19/45/शिक्षा–6/197 दिनांक 22.04.1999 द्वारा समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति (SDMC) का गठन किया गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक व अध्यापकों में से संस्था प्रधान द्वारा अध्यापकों में से मनोनीत एक सदस्य सदस्य सचिव के रूप में नामित है। गठित समिति के नियमावली बिन्दु संख्या 16 के द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन–देन बाबत प्रावधान है। इसके सम्बन्ध में निदेशालय के आदेश क्रमॉक शिविरा/माध्य/मा/स/22423/2001–02 दिनांक 21 जनवरी 2015 एवं दिनांक 27.02.2015 में विस्तारपूर्वक विवरण अंकित है, जो आदर्श विद्यालय योजना वर्ष 2015–16 की मार्गदर्शिका पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 56 से 59 पर अंकित है।
2. उक्त समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने एवं विद्यालय भवन का विकास मुख्य है ताकि अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्वच्छ शैक्षिक वातावरण प्राप्त हो। समिति द्वारा विद्यार्थियों से छात्रनिधि के रूप में राशि प्राप्त की जाती है। प्राप्त राशि विभिन्न बैंकों में विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति द्वारा छात्र निधि (Boys Fund) के नाम से बैंक खाते का संचालन किया जाता है। निदेशालय के आदेश क्रमॉक शिविरा/माध्य/मा–स/21434/2015–16 दिनांक 07.09.2015 द्वारा बैंक खाता छात्रनिधि(Boys Fund) के स्थान पर विद्यार्थी कोष (Student Fund) के नाम से संचालित करने के निर्देश दिये गये थे ताकि अध्ययनरत विद्यार्थियों का विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति से जुड़ाव हो सके।
3. विद्यार्थी कोष में विद्यार्थियों से ली जाने वाली राशि का निर्धारण भी विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति (SDMC) द्वारा किया जाता है। इस समिति में स्थानीय ग्रामवासियों का प्रतिनिधित्व– विद्यार्थी के माता–पिता या संरक्षक के होने से वसूल एवं व्यय की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में पूर्ण पारदर्शिता रहती है। विद्यालय में शैक्षिक वातावरण व अच्छा स्तर होने से समिति विद्यार्थी कोष की राशि का पुनर्निधारण भी करने के लिए भी सक्षम है। इसे मासिक आधार पर भी वसूल करने हेतु निर्णय ले सकती है एवं ग्रामवासी समिति को राशि देने को तैयार होते है। वर्तमान में यह राशि वार्षिक आधार पर वसूल की जा रही है। इसी बिन्दु को ध्यान में रखते हुए छात्रकोष के उपयोग के संबंध में निदेशालय द्वारा परिपत्र क्रमॉक शिविरा–माध्य/मा/स/22423/01–02 दिनांक 28.02.2015 जारी किया गया है ताकि प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को विद्यार्थी कोष की राशि व्यय कर अध्ययनरत विद्यार्थियों को अधिक सुविधाऐं देकर शैक्षणिक वातावरण में सुधार किया जा सके।
4. राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पदस्थापन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात संबंधित संस्था प्रधान से अपेक्षा की जाती है कि प्रारम्भिक चरण में आप मासिक आधार पर विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति की बैठक आयोजित कर –
   - (i) विद्यार्थी कोष में अवशेष राशि की जानकारी समिति के सदस्यों को दी जाये
   - (ii) राशि व्यय करने के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 28.02.2015 के अनुसार कार्य–योजना प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया जाये
   - (iii) कार्य योजना के अनुसार राशि व्यय की जाये
   - (iv) विद्यार्थी कोष के रूप में वसूल की जा रही राशि के पुनर्निधारण हेतु समिति के समक्ष विचार किया जाये ताकि समिति द्वारा निर्णय लिया जा सके
5. संस्था प्रधान द्वारा की गयी कार्यवाही अभिभावकों में विश्वास के साथ–साथ विद्यालय विकास की दिशा में एक सार्थक कदम होगा।

पूर्ण अपेक्षा के साथ

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / मा–रा / 22423 / 2001–02 दिनांक : 16-11-15

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
2. समस्त संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक)
   माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय

विषय :– छात्र कोष एवं विकास कोष में अवशेष राशि की बैंक में सावधि जमा (FDR) नहीं करवाने बाबत्।

प्रसंग :– शिविरा / माध्य / मा–रा / 22423 / 2001–02, दिनांक 02.11.2015, 30.09.2015 व 28.02.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ संस्था प्रधानों द्वारा छात्र कोष व विकास कोष में अवशेष राशि को बैंक सावधि जमा (FDR) में रखा जा रहा है, जो यह प्रमाणित करता है कि संस्था प्रधान छात्र कोष में अवशेष राशि का छात्रों के कल्याण व शिक्षण संबंधी गतिविधियों में उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो पूर्व में छात्र कोष के उपयोग / गतिविधियों के संबंध में जारी आदेशों की स्पष्टतः अवहेलना है। अतः समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित व पाबन्द करें कि छात्र कोष की अवशेष राशि को पूर्व में जारी गतिविधियों में ही व्यय करें। छात्र कोष के उपयोग के संबंध में निम्न निर्देश पुनः प्रदान किये जाते हैं:–

1. समस्त संस्था प्रधान छात्र कोष व विकास कोष में उपलब्ध अवशेष राशि की बैंक में सावधि जमा (FDR) नहीं करवाएं, बल्कि उपलब्ध राशि खाते को फ्लैक्सी सावधि जमा (FDR) के माध्यम से ही रखा जावे, ताकि विद्यार्थी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राशि उपलब्ध होने के साथ–साथ ब्याज भी अर्जित किया जा सके।
2. छात्र कोष व विकास कोष में उपलब्ध अवशेष राशि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षिक, सांस्कृतिक व खेलकूद संबंधी गतिविधियों के उन्नयन हेतु उपयोग में लाया जाना है। ध्यान रहे कि उक्त अवशेष राशि का उद्देश्य सावधि जमा (FDR) जमा से ब्याज अर्जित करना नहीं है।
3. छात्रकोष व विकास कोष में उपलब्ध राशि का उपयोग विद्यार्थियों के कल्याण संबंधी गतिविधियों के निष्पादन में किये जाने हेतु संस्था प्रधानों द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को विद्यालय में स्वस्थ शैक्षिक वातावरण व सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है।
4. संस्था प्रधान छात्रकोष व विकास कोष की वार्षिक योजना तैयार कर विद्यालय प्रबन्धन समिति से अनुमोदित करवाएं व सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र में छात्रों के विकास व कल्याण सम्बन्धी गतिविधियों को समयबद्ध संचालित करने की कार्यवाही करें।
5. संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय प्रबन्धन समिति की नियमित रूप से बैठक आयोजित की जावे।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संस्था प्रधान द्वारा आयोजित की जाने वाली एसडीएमसी की बैठक के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित् की जावे :–
   (I) सदस्यों को अवशेष राशि की समुचित जानकारी उपलब्ध करावें।
   (II) समिति के समक्ष विद्यालय में किये जाने वाले कार्यों की कार्य योजना एवं विवरण प्रस्तुत करें तथा कार्य योजना का अनुमोदन करावें।
   (III) प्रत्येक कार्य के लिए पृथक–पृथक पत्रावली संधारित करें, जिसमें एसडीएमसी के पारित प्रस्ताव आवश्यक रूप से संलग्न हों।

(IV) एसडीएमसी की वर्षवार योजना की जानकारी दी जाकर छात्र निधि से आदर्श वित्तीय मानकों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से राशि व्यय की जानी सुनिश्चित् करें तथा छात्र निधि से व्यय राशि का एसडीएमसी से अनुमोदन करावें।

(V) पत्रावली में अनुमोदित व्यय प्रस्ताव की फोटो प्रति संधारित करें।

(VI) उच्चाधिकारियों के निरीक्षण, अंकेक्षण प्रयोजनार्थ पत्रावली अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावे। उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि संस्था प्रधान द्वारा पारदर्शी तरीके से राशि व्यय की जाती है, तो प्रत्येक निरीक्षण/अंकेक्षण दल आवश्यक रूप से संतुष्ट होंगे।

7. जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं अधीनस्थ शालाओं की छात्रकोष व विकास कोष से संचालित गतिविधियों का प्रभावी पर्यवेक्षण व मॉनिटरिंग की सुनिश्चितता हेतु यथावश्यक कार्यवाही करें।

16/11-2015

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान को क्षेत्राधिकार में सतत् प्रबोधन एवं प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर